अनुसूची 14– फार्म सं0 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक .... ता0 ....से ....तक

जिला – राँची।

केस का प्रकार– विविध वाद संख्या 09/21-22

आदेश और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी ता0 सहित
22/10/21	आवेदक अयूब अंसारी वो नसीम अंसारी पिता– स्व० रोजिद अंसारी मौजा नेवरी थाना संख्या– 45, खाता संख्या 150 प्लॉट संख्या 1972 रकबा 8.42 डीसमील भूमि का नामांतरण वाद संख्या 2431/2021-22, द्वारा स्वीकृति पश्चात कायम जमाबंदी को निरस्त करने हेतु आवेदन समर्पित किया है। अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के निर्देश दिया जाता है कि समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में सुस्पष्ट मन्तव्य सहित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 27/10/21 तक समर्पित करें। अभिलेख दिनांक 27/10/21 को प्रस्तुत करें। अंचल अधिकारी, कांके, राँची। 22/10/21	
27/10/21	उपरोक्त तथ्यों के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा नेवरी थाना संख्या 45 खाता संख्या 150 प्लॉट संख्या 1972 रकबा 8.42 डीसमील भूमि का नामांतरण हेतु आपत्ति प्राप्त होने के पूर्व ही अग्रसारित किया गया है। नामांतरण वाद संख्या 2431/2021-22 को राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में स्वीकृति प्रदान की गई है। आवेदक के अनुसार प्रश्नगत भूमि के बिक्रेता से खतियानी रैयत के वंशजों का कोई संबंध नहीं है। उक्त भूमि को बिक्रेता द्वारा गलत वंशावली समर्पित कर बिक्री की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नामांतरण वाद संख्या 2431/2021-22 के द्वारा कायम जमाबंदी के निरस्तीकरण की अनुशंसा की जाती है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक में उक्त निष्पादित नामांतरण वादों को निरस्त/रद्द करने हेतु अनुशंसा किया	

Scanned with CamScanner

गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त दाखिल खारिज वाद में पारित आदेश को निरस्त/रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर, राँची को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी, कांके, राँची।

अंचल अधिकारी कांके, राँची।

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।

विषय : दाखिल खारिज वाद संख्या 2431/2021–22 को रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आवेदक अयूब अंसारी वो नसीम अंसारी पिता– स्व० रोजिद अंसारी मौजा नेवरी थाना संख्या– 45, खाता संख्या 150 प्लॉट संख्या 1972 रकबा 8.42 डीसमील भूमि का नामांतरण वाद संख्या 2431/2021-22, द्वारा स्वीकृति पश्चात कायम जमाबंदी को निरस्त करने हेतु आवेदन समर्पित किया है। उक्त समर्पित आवेदन के आलोक में प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा नेवरी थाना संख्या 45 खाता संख्या 150 प्लॉट संख्या 1972 रकबा 8.42 डीसमील भूमि का नामांतरण हेतु आपत्ति प्राप्त होने के पूर्व ही अग्रसारित किया गया है। आवेदक के अनुसार प्रश्नगत भूमि के बिक्रेता से खतियानी रैयत के वंशजों का कोई संबंध नहीं है। उक्त भूमि को बिक्रेता द्वारा गलत वंशावली समर्पित कर बिक्री की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नामांतरण वाद संख्या 2431/2021-22 के द्वारा कायम जमाबंदी के रद्द/निरस्त करने की अनुशंसा की जाती है।

27/10/21

अंचल निरीक्षक,
काँके।

27/10/21
राजस्व उप निरीक्षक
काँके।

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.05.23 17:04:57 +05:30
Location: 192.168.29.226

Scanned with CamScanner